

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मई 2017—ज्येष्ठ 10, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मई 2017

क्र. 8955-114-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 मई, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, २०१७

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा १ का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ४ का संशोधन.
५. धारा ६ का संशोधन.
६. धारा ९ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, २०१७

[दिनांक २६ मई, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३१ मई, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.

धारा १ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ (क्रमांक १२ सन् १९९९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.”;

(दो) उप धारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंतः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(४) इस अधिनियम के उपबंध मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, २००१ (क्रमांक १० सन् २००१) के उपबंधों के अधीन लगाए गए वृक्षों को लागू नहीं होंगे.”

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग क) “आयुक्त” से अभिप्रेत है, संबंधित राजस्व संभाग का आयुक्त;”

धारा ४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) तथा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(२) कलक्टर, ऐसे नियमों के अनुसार जो कि विहित किए जाएं, आवेदन की जांच करवाएगा तथा नब्बे दिन की कालावधि के भीतर आवेदन को मंजूर या नामंजूर करेगा :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा उस दशा में, उत्तराधिकार के सिवाय, मंजूर नहीं की जाएगी जहां किसी भी रीति में, भूमि में हक के अर्जन की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत न हो गई हो.

स्पष्टीकरण—हक के अर्जन की तारीख वह तारीख होगी जिसको कि हक का अंतरण लिखत द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है.

(३) किसी एक वर्ष में वृक्ष काटने की अनुज्ञा विनिर्दिष्ट वृक्षों की उतनी संख्या तक ही सीमित होगी जिससे भूमि स्वामी धन के रूप में किसी एक वर्ष में दस लाख रुपये से अनधिक उतनी रकम प्राप्त कर सके जो कि कलक्टर द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझी जाए :

परन्तु विशेष परिस्थितियों में कलक्टर, आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, किसी एक वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के लिए अनुज्ञा दे सकेगा.”.

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उप धारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा ६ का संशोधन.

“(१) भूमिस्वामी को देय प्रतिफल की रकम, भूमिस्वामी के खाते में, किसी अनुसूचित बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की किसी भी शाखा में, निक्षिप्त की जाएगी.”.

६. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उप धारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा ९ का संशोधन.

“(२) उपधारा (१) के अधीन कार्रवाई करने का आधार गठित करने वाले किन्हीं विनिर्दिष्ट वृक्षों की लकड़ी का अभिग्रहण कर लिया जाएगा और वह राज्य सरकार को राजसात हो जाएगी :

परन्तु यदि भूमिस्वामी के प्रति कोई षडयंत्र, कपट या छल किया जाता है तो इस प्रकार राजसात लकड़ी के विक्रय आगम, उस आपराधिक मामले के निपटारे के पश्चात्, कलक्टर के आदेश के अधीन भूमिस्वामी को दिए जाएंगे.”.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2017

क्र. 8955-114-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, 2017 (क्रमांक 18 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2017

**THE MADHYA PRADESH ADIM JAN JATIYON KA SANRAKSHAN (VRAKSHON ME HIT)
SANSHODHAN ADHINIYAM, 2017**

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 1.
3. Amendment of Section 2.
4. Amendment of Section 4.
5. Amendment of Section 6.
6. Amendment of Section 9.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2017

THE MADHYA PRADESH ADIM JAN JATIYON KA SANRAKSHAN (VRAKSHON ME HIT) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2017

[Received the assent of the Governor on the 26th May, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st May, 2017].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) Adhiniyam, 1999.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

Short title. 1. This Act may be Called the Madhya Pradesh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) Sanshodhan Adhiniyam, 2017.

Amendment of Section 1. 2. In Section 1 of the Madhya Pradesh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) Adhiniyam, 1999 (No. 12 of 1999) (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Short title, extent commencement and applicability.";

(ii) after sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(4) The Provisions of this Act shall not be applicable to trees planted under the provisions of the Madhya Pradesh Lok Vaniki Adhiniyam, 2001 (No. 10 of 2001)."

Amendment of Section 2. 3. In Section 2 of the Principal Act, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ca) "Commissioner" means the Commissioner of the revenue division concerned;"

Amendment of Section 4. 4. In Section 4 of the Principal Act for sub-section (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(2) The Collector shall have the application enquired into in accordance with such rules as may be prescribed and grant or reject the application within the period of ninety days:

Provided that no such permission shall be granted in a case where a period of five years has not elapsed after the date of acquisition of title in the land in any manner, except by succession.

Explanation.—The date of acquisition of title shall be the date on which the transfer of title has registered by way of instrument.

(3) The permission to cut trees in a year shall be restricted only to such number of specified trees as may fetch the Bhumiswami such amount of money not exceeding rupees ten lakh in a year as is considered by the Collector to be adequate to meet the purpose specified in the application:

Provided that under special circumstances, the Collector may, after obtaining prior permission of the Commissioner, grant permission in a year for a value exceeding rupees ten lakh.”.

5. In Section 6 of the Principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

Amendment of Section 6.

“(1) The amount of consideration payable to the Bhumiswami shall be deposited in the account of the Bhumiswami in any branch of a Scheduled Bank or Central Co-operative Bank.”.

6. In Section 9 of the Principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

Amendment of Section 9.

“(2) Wood of any specified trees constituting the basis of action under sub-section (1) shall be seized and stand forfeited to the State:

Provided that if any conspiracy, fraud or deception is played on the Bhumiswami, the sale proceeds of the wood, so forfeited shall be given to the Bhumiswami under the order of the Collector, after disposal of the criminal case.”.